Saadpna

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं0 जीओ/4/2011/एसटीजीजेएच/डीईएलएएल/आर.यू.-III

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

Dated 29-7-2011

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
झारखण्ड सरकार,
रांची,
झारखण्ड

विषय: **अनुसूचित जनजाति की सदस्य को जमीन से बेदखल करने एवं जाली कांड में फसाने के संबंध में श्री घसिया उरांव का अभ्यावेदन।**

महोदय,

उपरोक्त प्रकरण पर दिनांक 10-06-2011 को श्री अनुराग गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक (सीआईडी), संगठित अपराध, झारखण्ड, रांची तथा श्री बीरसाय उरांव, उपायुक्त रांची के साथ आयोग में हुई बैठक / सुनवाई के कार्यवृत की प्रति आपको भेजी जा रही है। निदेशानुसार अनुरोध है कि कार्यवृत में उल्लेखित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई करें तथा कृत कार्रवाई की रिपोर्ट इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिन अवधि में आयोग को भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

के० डी० वन्सौर

(के.डी. वन्सौर)
उप निदेशक

कार्यवृत्त की प्रति सहित
प्रतिसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु-

1. श्री अनुराग गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक (सीआईडी), संगठित अपराध, झारखण्ड, रांची
2. श्री बीरसाय उरांव, उपायुक्त, रांची (झारखण्ड)
3. अनुसंधान अधिकारी, NCST R.O. Ranchi.
4. SSA NIC

5284-88
29/7/11

ISSUED

के० डी० वन्सौर

(के.डी. वन्सौर)
उप निदेशक

O/C

Tel. : 011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax : 011-24604689, 011-24624191

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No.GO/4/2011/STGJH/DELAAL/RU-III

श्री घसीया उरॉव से प्रप्त अभ्यावेदन दिनांक 28/01/2011 उसकी जमीन षडयन्त्र पूर्वक हथियाने, जमीन से बेदखल करने, उसके साथ गाली गलौज करने तथा उसे झूठे केश में फसाकर जेल भेजने के मामले में दिनांक 10/06/2011 को आयोग में हुई बैठक का कार्यवृत्त ।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग -

(1) डॉ. रामेश्वर उरॉव, माननीय अध्यक्ष
(2) के.डी बंसौर, उपनिदेशक
(3) एन.के. मारन, अनुसंधान अधिकारी

झारखण्ड राज्य शासन -

(1) श्री अनुराग गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक,(सीआईडी), संगठित अपराध, झारखण्ड, रॉची
(2) श्री बीरसाय उरॉव, उपायुक्त, रॉची

विषय/मुद्दा - अनुसूचित जनजाति के सदस्य को जमीन से बेदखल करने एवं जाली केश में फसाने के संबंध में श्री घसीया उरॉव का अभ्यावेदन

पृष्टभूमि

श्री घसीया उरॉव पिता स्व. श्री मंगरा उरॉव, ग्राम-तुपुदाना, पो0 हटिया अंचल-खिजरी (नामकूम) जिला-रॉची का अभ्यावेदन दिनांक 28/1/2011 आयोग को दिनांक 14/2/2011 को प्राप्त हुआ । आवेदक ने अपने आवेदन पत्र में मुख्यतः उल्लेख किया है कि पिछले वर्ष श्री अरूण कुमार सिंह के द्वारा षड़यंत्र पूर्वक आभ्यावेदक पर रंगदारी का झूठा केश थाना तुपुदाना (धूर्वा) में दर्ज कराया तथा आवेदक को जमीन से बेदखल करने की मंशा से यह सब कार्यवाही प्रतिवादी द्वारा की गई । रंगदारी का केस संख्या 199/09 दिनांक 4/11/2009 धारा 386/34 भारतीय दण्ड सहिता दर्ज कराया गया तथा अभ्यावेदक को संबंधित थाना तुपुदाना में 3 दिन तक लगातार मानसिक प्रताड़ना दी गई तथा दिनांक 7/11/2009 को रंगदारी के केस में चालान कर दिया गया । इस संबंध में अभ्यावेदक ने दिनांक 10/11/2000 को पुलिस महानीरिक्षक रॉची को लिखित शिकायत की गई जिसकी जांच डीआईजी रॉची एवं , सिटी एस.पी. रॉची के द्वारा की

Rameshwar Oraon

गई। अभ्यावेदक ने रॉची में मुकदमा संख्या 45/10 दिनांक 22/12/2010 को प्रतिवादी के विरूद्ध कायम कराया। अभ्यावेदक से प्राप्त शिकायत पत्र पर आवश्यक कारवाई करते हुए इस आयोग के पत्र क्रमांक क्रमांक GO/4/2011/STGJH/DELAAL/RU-III दिनांक 23/2/2011 द्वारा जिला समाहर्ता जिला रॉची, झारखण्ड को शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर विस्तृत रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया । तदपश्चात मामले में पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, रॉची को समसंख्यक पत्र दिनांक 10/3/2011 द्वारा मामले में यथोचित टिप्पणी / रिपोर्ट इस आयोग को पत्र प्राप्ति से 07 दिवस के अन्दर भेजने का अनुरोध किया गया । इस पत्र की प्रति जिला समाहर्ता जिला रॉची को भी पृष्ठांकित की गई । कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने पर मामले में आयोग द्वारा महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड रॉची को दिनांक 10/3/2011 को पत्र 07 दिन के अन्दर रिपोर्ट भेजने के लिए लिखा गया। पुलिस महानीरिक्षक (मानवाधिकार), झारखण्ड रॉची द्वारा अपर पुलिस महानीरिक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, रॉची को दिनांक 14/3/2011 को पत्र लिखा गया जिसमें निर्देश दिया गया कि अभ्यावेदन में अंकित बिन्दुओं पर जॉच कर जॉच प्रतिवेदन 04 दिनो के भीतर उन्हें उपलब्ध करायी जाय ताकि मामले पर कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराया जा सकें।

अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 29/04/2011 को आयोग के राज्य स्तरीय Review Meeting में पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड का ध्यान उक्त प्रकरण पर आकृषित किया । पुलिस महानिदेशक ने संज्ञान लेते हुए मामले को दिखवाने का आश्वासन देकर रिपोर्ट आयोग को शीघ्र भिजवाने को कहां । अन्ततः पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड द्वारा मामले में की गई कार्रवाई सूचना आयोग को नहीं भेजने पर आयोग ने पुलिस महानिदेशक को दिनांक 10/06/2011 को आयोग में सुनवाई के लिए बुलाया जिस पर महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, रॉची ने पत्र दिनांक 09/06/2011 द्वारा मामले पर संबंधित दस्तावेजों सहित उपस्थित होने क संबंध में अनुरोध करते हुए सूचित किया कि श्री अनुराग गुप्ता, पुलिस महानीरिक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग उनके प्रतिनिधि के रूप में आयोग के समक्ष उपस्थित होकर कथित मामले की वस्तुस्थिति से आयोग को अवगत करायेंगे ।

महानिदेशक एवं पुलिस महानीरिक्षक ने उक्त पत्र में प्रश्नांकित मामले पर जानकारी भेजी की मामला थाना प्रभारी, तुपुदाना अवर निरीक्षक श्री मनोज कुमार ठाकुर जो निलंबन में है, का स्थानांतरण निलंबन की स्थिति में ही दूसरे जिला में किया जा चुका है । श्री घसीया उरॉव द्वारा अनुसुचित जाति - जनजाति थाना में दर्ज केश संख्या 45/2010 दिनांक 22/12/2010 धारा 504/506 भा0द0वि0 एवं 3(1) (10) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में अभियुक्त श्री

Rameshwar oraon

डा. रामेश्वर उराँव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

अरूण कुमार सिंह 2. श्री अमिताभ कुमार सिंह एवं 3. श्री विनय शर्मा (सभी प्राथमिकी के अभियुक्त) के विरूद्ध अनुसंधानोपरांत आरोप पत्र संख्या 37/2011 दिनांक 20/05/2011 समर्पित किया जा चुका है ।

दिनांक 10/06/2011 को श्री अनुराग गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड एवं श्री विरसाय उरॉव, अपर समाहर्त्ता, रॉची आयोग में उपस्थित हुए ।

चर्चा

अध्यक्ष महोदय ने झारखण्ड में भूमि अधिग्रहण के मामले पर गम्भीरता व्यक्त की और बताया कि राज्य में अनुसूचित जनजातियों की भूमि खरीद-फरोक्त करने में कई अनियमितताऐं की जा रही है । भूमि विभाग एवं संबंधित जिला उपायुक्त इस प्रकार की अनुमति किन कारणों एवं किन परिस्थितयों में दे रहें है और आदिवासियों की भूमि छीनी जा रहीं है तथा आदिवासी अत्याचारो को सह रहा है। आदिवासियों की भूमि सम्बंधित कानूनों के रहते हुए भी कानूनों का सख्ती से पालन न होना राज्य में एक गम्भीर विषय है।

अध्यक्ष महोदय ने कहां कि श्री घसिया उरॉव के साथ पुलिस अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा उनकी भूमि मामले में जो नजरंदाजी की और उन पर अत्याचार किए यह एक शर्मनाक व्यवहार दिखाई देता है । पुलिस महानिरीक्षक श्री अनुराग गुप्ता ने पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले में की गई लापरवाही की सीआईडी रॉची से जॉच करवाई जिसमें स्पष्ट हुआ है कि अधिकारियों ने लापरवाही की तथा आदिवासी व्यक्ति पर अत्याचार किया इन अधिकारियों पर अनुभाग द्वारा पुछताछ करने के बाद निलंबन की कार्रवाई की गयी है । श्री घसिया उरॉव को जेल भेजा गया इसकी पुछताछ भी संबंधित अधिकारी से करवाई जा रहीं है ।

निष्कर्ष एवं सिफारिश --

अध्यक्ष महोदय ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3, 4, 5, 6 के उल्लघन पर नियमानुसार कार्यवाही करने की सलाह दी तथा मामले में पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड को सीआईडी रिपोर्ट व अधिकारियों पर की गई कार्रवाई की प्रगति एवं इस प्रकार के मामले में पुलिस व प्रशासन को आदिवासियों के प्रकरणों / शिकायतों की जांच करने एवं कार्यवाही करते समय आदिवासियों के संरक्षणों के लिए बने कानूनों की जानकारी व संवेदनशीलता बरतने के

Rameshwar Oraon

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने पर पुलिस महानिदेशक द्वारा उठाए गए कदम की चर्चा के लिए आयोग में बैठक के लिए बुलाया जायेगा । श्री अनुराग गुप्ता, महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग ने बताया श्री घसिया उरॉव द्वारा दर्ज कांड में पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य पर आरोप पत्र समर्पित किया गया है, पर इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में वह स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकें । इस बिन्दु पर आरक्षी महानिदेशक, झारखंड से स्पष्ट प्रतिवेदन अपेक्षित है। अपेक्षा है कि वह पन्द्रह दिनों के अन्दर प्रतिवेदन भेजे ।

Rameshwar oraon

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली